उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2891–औ0सं0 / 2024–27–एफ / 80(वो0–01) **दिनांक : 13 सितम्बर, 2024**

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.08.2024 को सम्पन्न हुई 205वीं बैठक में प्रस्ताव सं0–205 (06) पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों में कार्यरत कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ''उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1975'' (यथासंशोधित) को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी डिस्काम के कार्मिक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को संगत सेवा विनियमावली में निर्धारित योग्यतानुसार तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 (ग्रेड पे–2600) के टैक्नीशियन, कार्यकारी सहायक एवं लेखा लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
2. कारपोरेशन मुख्यालय मे कार्यरत कार्मिक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को संगत सेवा विनियमावली में निर्धारित योग्यतानुसार तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 (ग्रेड पे–2600) के टैक्नीशियन, कार्यकारी सहायक एवं लेखा लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
3. शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2052 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर–2 में स्पष्ट किया गया है कि ''चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी''।

   शासन की उक्त व्यवस्था की अनुरूपता में कारपोरेशन में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर मृतक आश्रितों को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजन प्रदान किया जाय परन्तु, ऐसे प्रकरणों में मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष की अवधि में मृतकाश्रित द्वारा यदि तृतीय श्रेणी के पद हेतु वांछित योग्यता प्राप्त कर ली जाती है तो, ऐसे आश्रित को संगत सेवा विनियमावली में निर्धारित योग्यतानुसार तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 (ग्रेड पे–2600) के उपरोक्त प्रस्तर 1/2 में इंगित पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
4. अनुकम्पा नियुक्ति यथासम्भव उसी इकाई में दी जायेगी जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था (उ0प्र0पा0का0लि0 मुख्यालय को छोडकर)। मृत कार्मिक के आश्रितों द्वारा असम्यक् कठिनाइयों के दृष्टिगत अन्य डिस्काम में सेवायोजन दिये जाने के प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया जाता है।
5. सीधी भर्ती के समान मृतकाश्रित के रूप में नियुक्त होने वाले समस्त संवर्गों / पदों के कार्मिकों को भी 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण अर्थात् ''प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अग्रेतर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित की जाती है।
6. तृतीय श्रेणी के जिन पदों के लिए टंकण एक अनिवार्य अर्हता है उन पदों हेतु टंकण की अनिवार्य अर्हता में टंकण की गति 25 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–212–जी0एम0 / रा0वि0प0–3–15 जी0एम0 / 74 दिनांक 20.06.1976, कार्यालय ज्ञाप संख्या–3880–

औ0सं0–17/पाकालि/2000–27–एफ/80 दिनांक 22.12.2000, कार्यालय ज्ञाप संख्या–2797–औ0सं0–17/पाकालि/2003–27–एफ0/80टी0सी0 दिनांक 06.06.2003, कार्यालय ज्ञाप संख्या–4327–औ0सं0/2009–27–एफ0/80(वो–III) दिनांक 25.11.2009, कार्यालय ज्ञाप संख्या–101–विनियम/काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/14–09–विनियम/2001(टी0सी0) दिनांक 10.07.2014, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1650–औ0सं0–17/पाकालि/2022–27–एफ/80 (वो0–1) दिनांक 6 मई, 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–2269–औ0सं0/2015–27 एफ/80(वो0–I) दिनांक 25 जून, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु ''उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1975'' (यथासंशोधित) के नियम एवं शर्ते पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

<u>सं0–2891–औ0सं0–17/2024 तद्‌दिनांकः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/एस0एल0डी0सी0लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/(निधि प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0।
13. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधि0, उ0प्र0पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 205(6) वीं बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
17. कट फाइल।

(लोकेन्द्र सिंह)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी